तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित–
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक प्रार्थी
श्री रमजान मोहम्मद, अभिभाषक अप्रार्थी

दिनांक : 31.3.2022

निर्णय

यह निगरानी भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी टोंक द्वारा अपील संख्या 25 / 2004 में पारित निर्णय दिनांक 27–10–2004के विरूद्ध धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। वाद के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रतिवादी संख्या 5 से 7 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी सं. 3 व 4 के विरूद्ध आदेश दिनांक 29–10–2003 द्वारा एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की कि विवादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे। तत्पश्चात विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आदेश दिनांक 16–4–2004 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की, जो आक्षेपित निर्णय दिनांक 27–10–2004 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय को यथावत रखा। उनका तर्क है कि विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र धारा 212

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को निर्णित करते समय न तो वाद के कथनों पर विचार किया, न प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों पर उचित आदेश पारित किया, महज अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा भूमि खरीदने मात्र से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अप्रार्थी संख्या 3 की स्थिति स्ट्रेन्जर परचेजर की है। विवादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 3 को कब्जा नहीं दिया गया जिसके अभाव में अप्रार्थीगण का कोई प्रथमदृष्ट्या प्रकरण नहीं बनता है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तीनों घटकों के विरूद्ध निर्णय दिया है। जो पूर्णतया अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त कर प्रार्थीगण के अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि मदरसे को बेची जा चुकी है जिस पर मदरसे का निर्माण कार्य होकर अध्ययन का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। ऐसे में प्रथमदृष्या केस प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होने से अप्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी आक्षेपित निर्णय दिनांक 27–10–2004 द्वारा अपीलाधीन निर्णय को यथावत रखा है, जो उचित है। अतः यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबंदी संवत् 2055 से 2058 में वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1608 रकबा 19 बिस्वा का खातेदार रतनसिंह होना प्रमाणित है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रतनसिंह द्वारा खसरा नंबर 1608 में से 5 बिस्वा भूमि का बेचान किये जाने पर नामान्तरकरण संख्या 1338 दिनांक 31–10–2001 स्वीकृत किया गया। तहसीलदार मालपुरा ने मौका रिपोर्ट दिनांक 6–11–2003 में यह अंकित है कि –''मौके पर वर्तमान में इस खसरा नम्बर में 33½ x 24½ फीट में स्कूल भवन एक हॉल व एक कमरे का निर्माण किया हुआ पहले से ही है। इसी भवन के पश्चिम में 18½ फीट जगह छोडकर अंजुमन कमेटी गनवर द्वारा मदरसा निर्माण कराया जा रहा है।'' उपरोक्त आधार पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने रेस्पो. सं.5 / अप्रार्थी सं.3 के पक्ष में प्रथमदृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन होना तो पाया है किन्तु साथ ही रेस्पो.सं. 5 / अप्रार्थी संख्या 3 को कृषि भूमि पर बिना संपरिवर्तन करवाये निर्माण कार्य करवाने का अधिकारी नहीं मानते हुए रेस्पो.सं. 5 / अप्रार्थी सं.3 को खसरा नंबर 1608 रकबा 5 बिस्वा में बिना संपरिवर्तन की कार्यवाही करवाये किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने हेतु निर्देशित / पाबंद किया है, जो उचित है। हम अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित मत से पूर्णतया सहमत है एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–10–2004 में ऐसी कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं पाते हैं, जिससे कि उसमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जावे। अतः यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–10–2004 बहाल रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)** **सदस्य**	